

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

16 JAN 2015

क्रमांक : प. 1(48)एमई/ग्रुप-1/13

जयपुर, दिनांक :

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(71)एमई/ग्रुप-1/88 पार्ट (2012) दिनांक 30.01.2013 के द्वारा डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी की नियुक्ति सहायक आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग के पद पर मेडिकल कॉलेज, अजमेर में कार्यभार ग्रहण तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई थी।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर के पत्रांक 13638/संस्थापन-1/एमसीए/2014 दिनांक 07.4.2014 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ० (श्रीमती) सैनी परिवीक्षा अवधि में बिना अनुमति के स्वेच्छा से अपने कार्यस्थल से निम्नानुसार अनुपस्थित है :-


- (1) दिनांक 26.3.2013 से 28.3.2013
- (2) दिनांक 30.3.2013 से 25.4.2013
- (3) दिनांक 27.4.2013 से 04.7.2013
- (4) दिनांक 06.7.2013 से 26.12.2013
- (5) दिनांक 28.12.2013 से 09.01.2014
- (6) दिनांक 11.01.2014 से लगातार

बिना अनुमति के स्वेच्छा से सेवा से अनुपस्थित रहने पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डॉ० (श्रीमती) सैनी को पूर्व में भी इस विभाग के समसंख्यक पत्र (रजिस्टर्ड) दिनांक 10.12.2013, 14.2.2014 द्वारा निर्देशित किया गया। डॉ० (श्रीमती) सैनी को पुनः समसंख्यक पत्र (रजिस्टर्ड) दिनांक 22.7.2014 द्वारा निर्देशित किया गया कि आप अपने कार्यस्थल पर 7 दिवस में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा परिवीक्षा काल में स्वेच्छा से सेवा से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप नियमानुसार आपकी सेवा समाप्त की कार्यवाही की जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर के पत्रांक एफ. 279/संस्थापन-1/एमसीए/2014 दिनांक 02.01.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ० (श्रीमती) सैनी ने आदिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ० (श्रीमती) सैनी राज्य की राजकीय सेवा करने की इच्छुक नहीं है।


अतः डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी के परिवीक्षा काल में बिना अनुमति के स्वेच्छा से अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उनकी परिवीक्षा अवधि को असन्तोषजनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उपनियम (1) के प्रावधान अनुसार डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी की सहायक आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग पद की सेवा एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आदेश से,


(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. डॉ० (श्रीमती) सुशीला सैनी, सी-29, नन्दपुरी कॉलोनी, हवा सड़क, जयपुर (राज.)- 302019
को रजिस्टर्ड डाक से।
7. श्री पी.पी. तिवाड़ी, सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव